

ममता शर्मा

निगम पार्षद

वार्ड नं. 201, जैतपुर

सदस्या :

1. उच्चाधिकार प्राप्त सम्पत्ति-कर समिति
 2. विधि एवं सामान्य प्रयोजन समिति
 3. क्षेत्रीय ग्रामीण समिति
- दिल्ली नगर निगम

क्रमांक : MS/577/4/11

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।



OFFICE OF UDM

Dy. No. 4136

Date 23-11-11

दूरभाष : कार्या. : 26666201

26666202

मो. : 9958693201

कार्या. : F1, हरी नगर विस्तार

निकट लोहिया पुल, बदरपुर

नई दिल्ली-110044

दिनांक : 14/11/11

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे वार्ड जैतपुर (201) को गलत तरीके से ओ जोन (Zone O) में डाले जाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे वार्ड जैतपुर (201) को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग/किनारा घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनों ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है।

श्रीमानजी, मेरे वार्ड जैतपुर (201) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है। इसमें लगभग 20 अनाधिकृत कालोनियाँ व लाल डोरे का जैतपुर गांव व हरीनगर गांव हैं। यह सभी अनाधिकृत कालोनियाँ जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीबद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आबादी लगभग ढाई लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्याप्त है। नहरपार के मेरे इस वार्ड क्षेत्र जैतपुर (201) को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यों में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आबादी के लिये जैतपुर विस्तार भाग- में बनने वाला नगर निगम का विद्यालय, जैतपुर गांव में दिल्ली जल बोर्ड का मिनी वाटर सीबर ट्रीटमेंट प्लांट व इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व दिल्ली नगर निगम की ऐसी ही कई योजनाएँ हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के इलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जबकि यह इलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता है परन्तु मेरे क्षेत्र की वो कालोनियाँ जो यमुना फ्रंट पर भी नहीं हैं, अपितु उनके व यमुना नदी के बीच में हरियाणा की पूरी आबादी बसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रंट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया है, जो कि हमारे साथ घोर अन्याय है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

आपकी आज्ञाकारी,

(ममता शर्मा)

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
- 2- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
- 3- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेन्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली।
- 4- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली।
- 5- श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

